राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःस्थाई भण्डार / 2025 / दिनांक :

निदेशक
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय
राज. जयपुर।

विषयः ई–निविदा सूचना प्रकाशित कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर में कम्प्यूटर आईटम के सामान / सामग्री एवं प्रिन्टर कार्टेज रिफलिंग कार्य वर्ष 2024–25 हेतु खुली ई–निविदा आमंत्रित की जानी हैं। अतः इस हेतु निविदा सूचना की 10 प्रतियां संलग्न कर भेजी जा रही है। कृपया निविदा सूचना को नियमानुसार प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का श्रम करें तथा आपके विभाग की वेबसाइट पर निविदा सूचना मय निविदा की शर्ते प्रसाारित / अपलोड करावें, ताकि आपकी वेबसाइट से भी निविदा प्रपत्र व शर्ते निविदादाता द्वारा डाउनलोड कर निविदाएं ई–प्रोक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकें।

संलग्न : निविदा सूचना प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राज. जयपुर

क्रमांकःस्थाई भण्डार / 2025 / 591 दिनांक : 21.02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
1. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया संलग्न ई–निविदा सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राज.जयपुर

सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः स्थाई स्टोर/2025/591 दिनांक 21.02.2025

ई–निविदा सूचना संख्या 10/2024–25

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर में आगामी एक वर्ष के दौरान कम्प्यूटर आईटम/सामग्री की आपूर्ति हेतु प्राधिकृत व्यवहारियो/प्राधिकृत सेवा प्रदाताओ/सद्भावी व्यवहारियो/प्रतिष्ठित पंजीकृत फर्मों से एक वर्ष के लिए दर संविदा हेतु खुली ऑनलाईन ई–बोलियाँ आमंत्रित की जाती है:–

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित निविदा राशि	बिड सिक्योरिटी राशि मय (बजट मद) 8443–00–103–00–00	बोली दस्तावेज मूल्य मय (बजट मद) 0075–00–800–52–01	RISL फीस मय (बजट मद) 8658–00–102–16–01	निविदा डाउनलोड करने की तिथि एवं समय	निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	त्कनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय
1.	कम्प्यूटर आईम्स के सामान/ सामग्री	1100000/–	22000/–	500/–	500/–	25.02.2025 02.00 PM	19 03.2025 12.00 PM तक	20.03.2025 11.00 AM

1. बोलीदाताओं को अपना प्रस्ताव http://www.eproc.rajasthan.gov.in पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत करना है। तकनीकी प्रस्ताव के साथ बिड प्रतिभूति राशि, प्रपत्र शुल्क एवं आर.आई.एस.एल. शुल्क के जमा चालान ऑनलाईन अपलोड किया जाना है।
2. बिन्दु सं. 01 के अनुसार बिड प्रतिभूति राशि, निविदा प्रपत्र शुल्क एवं RISL शुल्क हेतु जमा चालान की प्रति एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 46 के अन्तर्गत बोलीदाता विवर्जित नहीं होना चाहिये, इस आशय का घोषणा पत्र (एनेक्सर K के अनुसार) 100/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।
3. निर्धारित समय तक अपलोड बोलियों के संबध में दिनांक 20.03.2025 को प्रातः 11.00 बजे टेक्निकल बिड उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी वित्तीय बिड निर्धारित **BOQ में ऑनलाईन भरी जानी है। केवल तकनीकी बिड में योग्य पायी जाने वाली फर्मो की ही वित्तीय बिड डाउनलोड की जावेगी।**
4. आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 व आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के समस्त प्रावधान इस बोली आमंत्रण पर लागू होंगे। इस डॉक्यूमेंट व उक्त अधिनियम/नियम के प्रावधानों में विरोधाभास होने पर अधिनियम/नियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।
5. उक्त ई–बोली आमंत्रण सूचना को पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in, www.rajswasthy.nic.in व eproc.rajasthan.gov.in पर भी अवलोकन किया जा सकता है।

UBN NO:-MHS2425GLRC05080

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर

OPEN BID FOR PRINTIGN AND GENERAL STATIONARY

Part-A

This bid is being invited under two cover e-bid system. Technical & Financial bids should be filled and submitted online as per the schedule given below:

This bid is being invited under two cover bid system. Technical & Financial bids should be filled and submitted online as per the schedule given below:

1	Bidding Authority & Address	Director Medial and Health Services, jaipur		
2	Telephone	0141—2228055		
	Website	www.rajswasthy.nic.in		
		Date	Time	Place
3	A. Bid form obtained upto	25.02.2025	02.00 PM	http://www.eproc.rajasthan.gov.in http://www.sppp.rajasthan.gov.in
	B. Bid form online submitted upto	19.03.2025	12.00 PM	http://www.eproc.rajasthan.gov.in
4	Opening of bid:-			
	A. Technical Bids	20.03.2025	11.00 AM	
	B. Financial Bid	Financial bids of only those bidders shall be opened who are declared technically qualified. The date and time of opening of financial bids shall be intimated to such bidders.		

The bid (technical & financial) should be uploaded according to the schedule given above. Bids will be short on the basis of technical bids.

Techno- Commercial Bid Form

Bidder information

S.N.	Partiular	Details/Relevant Documents	Page No
1.	Name & Postal address of the firm submitting the bid		
2.	Nature of Firm (Porpretor/Partnership/ Company)	The Bidder should be a prporeitorship Firm duly Registered either under the Rajasthan Shops & Commercial Establishmets act 1958 Or any other act of State/Union, as applicable for dealing in the subject matter of procurement (Note: A self certified declaration regarding the non applicability of Regination to any act should be submitted by the bidder) OR A company registered under Indian companies Act 1956 OR A Partnership Firm registered under Indian Partnership Act 1932 OR Limited liability Partnership Firm registered under Limited liability Partnership Act 2008 Note: Consortium is not allowed (Attach Registration Certificate Copy)	
3.	Name of the authorized person		
4-	Telephone Numbers (Office/Mobile/Fax		
5.	E-mail Id		
6.	Firm Registration No.		
7.	Annual Turn Over (Amount in lacs)	2021-22 2022-23 2023-24	
	Annual Average Turn Over Minimum 10.00 lacs (Last Three financial Year 2021-22, 2022-23, 2023-24)	Attach Certificate from Chartered Accountant with UDIN (unique document identification number)	
8	PAN	Self attested copy of PAN Card	
9.	GST Registration No.	Self attested copy of GST	
10.	One Work Experience Certificate of RS 5.00 lac in state Govt/Central govt/ Autonomous body/PSU in any of the last Three financial years 2021-22, 2022-23, 2023-24	Attach Relevant Work Experience Certifgicate/Work Completion Certificate/ (Mentioning No., date Name of Dept.)	
11.	Bid document fee Rs. 500/- Through E-grass online challan (Mention no., date, amount) Department code 58- Medical, Health and family Department office name 846 Directorate of medical & Health Services Rajasthan Jaipur (HOD) Select	Attach scanned copy of challan	

12.	RISL fee Rs. 500/- through E-grass online challan (Mention No, date, amount) Department code 58- Medical, Health and family Department office name 846 Directorate of medical & Health Services Rajasthan Jaipur (HOD) Select	Attach scanned copy of challan	
13.	Bid security fee Rs. 22000/- (Mention no., date, amount) Department code 58- Medical, Health and family Department office name 846 Directorate of medical & Health Services Rajasthan Jaipur (HOD) Select	Attach scanned copy of e-grass challan (in favour of Director Medical and Health services, Jaipur	
14.	Annexure A-	Code of Integrity and No. Conflict of Interest.	
15.	Annexure B-	Declaration by the Bidder regarding qualifications	
16.	Annexure C-	Grievance Redressal during Procurement Process.	
17.	Annexure D-	Additional Conditions of Contract	
18	Annexure E-	Declaration by the Bidder regarding bonafide Manufacturers/ Whole Sellers/ Sole distributor/ Authorised dealer/ dealers/sole selling/ Marketing	
19	Annexure F-	Circular- Steps for depositing Bid Document Fee, Bid Security and RISL Fee through single challan on e-GRAS Portal	
20	Annexure G-	Land Border Country Registration Requirement Certificate on Non- Judicial Stamp Paper	
21	Annexure H-	सर्टिफिकेट (See Clause 10)	
22	Annexure I-	Form of Bid- Securing Declaration	
23	Annexure J-	Form of Bid- Defaulter Declaration	
24	Annexure K-	राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 46 के अन्तर्गत बोलीदाता विवर्जित नहीं होना चाहिये इस आशय का घोषणा पत्र (एनेक्सर K के अनुसार) 100/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित	

1. Relevant documents in support of the above information have been uploaded under signature and seal of the firm.
2. We agree to abide by all the conditions mentioned in NIB number .... issued by and also the further condition of the said bid Notice given in acceptance of the terms mentioned
3. The bid shall remain valid for 90 days from the date of opening of technical Bid.
4. The rates quoted are valid for one year from the date of issuing of the supply order the period and value of contract can be extended as per the provisions of RTPP Act/Rules.
5. All condition mentioned on Price schedule are accepted.

—:ई—बोली / दर संविदा की सामान्य शर्तें:—

(बोलीदाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपने प्रस्ताव भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना होगा)

1. ई—बोली प्रपत्र दो भागों में है। प्रथम भाग तकनीकी बिड है तथा द्वितीय भाग वित्तीय बिड है। बोली दाता द्वारा तकनीकी बिड हेतु यह प्रपत्र मय संलग्न दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुये (मय सील) Eproc पोर्टल पर अपलोड करनी है। वित्तीय बिड ऑनलाईन BOQ में ही प्रस्तुत की जानी है। इससे भिन्न रूप में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है, कि ई—टेन्डरिंग प्रक्रिया से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी E-Procurement पोर्टल पर उपलब्ध ''Bidder Manual' से प्राप्त की जा सकती है।
3. ई—टेन्डरिंग प्रक्रिया के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण हेतु Depratment of information Technology & Communication, Government of Rajasthan विभाग द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इच्छुक बोलीदाता प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु E-procurement Cell, DoIT & C में रजिस्ट्रेशन करवा सकता हैं। Contact No. 0141-4022688 (Help desk 10 am to 6 pm on all working days) e-mail: eproc@rajasthant.gov.in. Address : E-Procurment Cell, RISL, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur.
4. इच्छुक आवेदक को बिड हेतु DOIT विभाग के निर्देशानुसार डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग में लेना होगा।
5. यह ध्यान रखा जावे कि तकनीकी बिड के साथ यदि वित्तीय दरें आदि किसी भी कारण दृष्टिगत होती है तो ऐसे प्रस्ताव को निरस्त कर दिया जावेगा।
6. निर्धारित तिथि एवं समय पर तकनीकी—वाणिज्यिक बोली को ऑनलाईन खोला जाकर निम्नलिखित मापदण्डो के आधार पर परीक्षण किया जायेगा:—

(1) बोली प्रतिभूति शुल्क, बोली शुल्क व आर.आई.एस.एल फीस जमा चालानों की प्रतिया। चालान E-Gras के माध्यम से जमा कराने होंगे, जिसमें Department code 58- Medical, Health and family Department office name 846 Directorate of medical & Health Services Rajasthan Jaipur (HOD) Select करना होगा।

(2) हस्ताक्षरित ई—बोली प्रपत्र, शर्तें मय आवश्यक दस्तावेज व संलग्नक ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना है। संलग्न प्रत्येक पृष्ठ पर मय सील हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।

(3) लघु उद्योग के मामलों में उद्योग विभाग द्वारा जारी प्रमाण—पत्र। इस बोली आमंत्रण में जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार इस बोली में भाग लेने हेतु योग्य है, परन्तु राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 75 के अनुसार सेवाओं के उपापन पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति मे छूट देय नहीं होगी।

(4) निविदादाता को अपनी वित्तीय क्षमता का प्रमाण लगाना होगा जिसमें उसका गत तीन वित्तीय वर्षो 2021—22, 2022—23 तथा 2023—24 का न्यूनतम औसत टर्न ऑवर 10 लाख होने के संबंध में सी.ए. से जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। प्रमाणन में सनदी लेखाकार के UDIN नम्बर एवं मुहर लगी हो।

(5) अनुभव हेतु राज्य सरकार / केन्द्र सरकार / अर्द्धसरकारी / उपक्रम में गत 3 वर्षो में ऐसे कार्य का न्यूनतम राशि 5 लाख का एक कार्यानुभव संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करें।

(6) अमानत राशि 22000 / — रू. का ई—चालान जो निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज. जयपुर के नाम देय हो, बोली प्रतिभूति / कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट के लिये आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर के पास रजिस्ट्रीकृत कुटीर एवं लघु उद्योग विभाग उन मदों के सम्बन्ध में जिसके लिये वे इस रूप में रजिस्ट्रीकृत है, सामान का क्रय (राजस्थान के उद्योग के अधिमान) नियम 1995 के नियम—8 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही जो वित्त (जीएफ एण्ड एआर) विभाग के आदेश कमांक : पं1(1)वित्त / सा.नि.लेनि. / 2007 दिनांक 19.10.2010 परिपत्र संख्या 24 / 2010 में वर्णित है के अनुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है (एनेक्सर—जे को सक्षम स्तर से प्रमाणित करवाकर संलग्न करें) अन्यथा बोली प्रतिभूति / कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट देय नहीं होगा।

(7) जी.एस.टी. रजि. प्रमाण—पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किये जाने है।

(8) राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 46 के अन्तर्गत बोलीदाता विवर्जित नहीं होना चाहिये। इस आशय का घोषणा पत्र (एनेक्सर K के अनुसार) 100 / — रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित करवाकर संलग्न करें।

(9) बोली दाता फर्म अथवा मालिक का PAN कार्ड की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी ळें

(10) नमूनेः— निविदा के साथ संलग्न नमूना लिस्ट एनेक्सर ''एच'' के अनुसार नमूने प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। नमूने तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक से एक दिन पूर्व तक प्रस्तुत करने होगें।

(11) बिन्दु सं. 6 (1) के अनुसार E-Gras का चालान एवं उपर्युक्त बिन्दु सं. 6 (8) के अनुसार 100/— रू. का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित करवाकर मूल प्रति वित्तीय निविदा खोले जाने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा इसकी प्रति निविदादाता द्वारा निविदा के साथ अपलोड करनी होगी।

7. बोली आमंत्रण प्रापत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव उचित रूप में ऑनलाईन प्रस्तुत किये जाने हैं।
8. निविदाऐं सामग्री के वास्तविक डीलरों/सेवा प्रदाताओं द्वारा ही दी जायेगी।
9. डिजिटल हस्ताक्षर Type III का ही होना चाहिए।
10. फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना उपापन संस्था को लिखित में आपूर्तिकर्ता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।
11. संविदा के संबध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को फर्म मे तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं उपापन संस्था इस संबंध में लिखितनामा प्रस्तुत नही कर देतें। प्राप्ति स्वीकृति के लिये आपूर्तिकर्ता फर्म के प्रोपराईटर/भागीदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदारी की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
12. GST पंजीयनः— कोई बोलीदाता यदि उस राज्य में प्रचलित, जहॉ उसका व्यवसाय स्थित है, GST अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह प्रस्ताव नहीं देगा। GST पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए।
13. बोली दाता फर्म अथवा मालिक का PAN कार्ड की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी है।
14. बोली दाता फर्म को संबंधित कार्य के अनुभव के संबंध में गत तीन वित्तीय वर्षों 2021—22, 2022—23, 2023—24 के दौरान राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अर्द्धसरकारी/उपकम में ऐसे कार्य का न्यूनतम राशि 5 लाख का एक कार्यानुभव/कार्यपूर्णता/कयादेश/भुगतान संबंधी प्रमाण की प्रति संलग्न करना होगा।
15. आवेदक बोली प्रपत्र व संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर कर मय मोहर ऑनलाईन अपलोड करेगा।
16. कयादेशानुसार दरें गंतव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी अनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु केन्द्रीय/राजस्थान जीएसटी को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामलों में दरों में समस्त करो आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाडी भाडे (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी केता अधिकारी के आदेशानुसार परिसरों पर दी जायेगी।
17. विधिमान्यताः—प्रस्तुत दरें तकनीकी बोली खोले जाने की तारीख से तीन माह (90 दिन) की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
18. सफल आवेदक अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।
19. सशर्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
20. उपापन अधिकारी बिना किसी कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से अस्वीकार करने का अधिकारी रहेगा।
21. विनिर्देशः—प्रदाय की गयी सभी वस्तुए निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहॉ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुरूप अपेक्षा की गयी हो, वहा उपमदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए।
22. प्रदाय हेतु संविदा को यदि माल/सेवा का प्रदाय केता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो संवेदक को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद केता अधिकारी किसी भी समय निरस्त कर सकता है। वह इस प्रकार निरस्त करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
23. आवेदक/संवदेक या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
24. (1) **सुपुर्दगी अवधिः**— बोली दाता, जिसकी दरें स्वीकार की जाएगी, उसे केता अधिकारी द्वारा प्रदाय आदेश में वर्णित तिथि एवं समय पर सामग्री/सेवा प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा। सामग्री/ सवेा विलम्ब से प्राप्त होने पर निविदा की शर्त संख्या 29 के अनुसार कटौती की जावेगी।

(2) मात्रा की सीमा– आदेश को फिर से देना :– यदि ई–बिड में दर्शित मात्रा से अधिक के लिये आदेश दिया जाता है तो संवेदक अपेक्षित मात्रा प्रदाय करने के लिये बाध्य होगा। पुनः आदेश राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार बिड में दी गयी शर्तों एवं दरो पर दिए जा सकेंगे। यदि संवेदक, ऐसा प्रदाय करनें में असमर्थ रहता तो केता अधिकारी शेष सामान के प्रदाय की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी निविदादाता से वसूली की जाएगी।

(3) यदि केता अधिकारी किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो संवेदक किसी क्षतिपूर्ति या क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

(क) **बोली प्रतिभूति (Bid Security):**– बोली प्रतिभूति (Bid Security) के बिना प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज. जयपुर के पक्ष में ई–ग्रास चालान (Department code 58- Medical, Health and family Department office name 846 Directorate of medical & Health Services Rajasthan Jaipur (HOD) Select करना होगा।

25.) से निर्धारित समय व तिथि से पहले कार्यालय में जमा करायी जानी आवश्यक है।

(ख) **बोली प्रतिभूति (Bid Security) राशि का प्रतिदायः**– असफल दरदाताओं की बोली प्रतिभूति (Department code 58- Medical, Health and family Department office name 846 Directorate of medical & Health Services Rajasthan Jaipur (HOD) Select करना होगा। बोली को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथासम्भव शीघ्र लौटायी जायेगी।

(ग) **बिड सिक्योरिटी राशि से आंशिक छूट** :– उन फर्मों को जो निदेशक, उद्योग विभाग राजस्थान के पास पंजीकृत हैं, उन मदों के सम्बन्ध में जिनके लिऐ वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गयी है, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र या उसकी प्रमाणित फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर उन्हें नियमानुसार वित्त विभाग के आदेश दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानुसार निविदा शुल्क व बोली प्रतिभूति में छूट दी जायेगी।

(घ) ई–ग्रास (Department code 58- Medical, Health and family Department office name 846 Directorate of medical & Health Services Rajasthan Jaipur (HOD) Select करना होगा के माध्यम से शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया संलग्न परिपत्र राजस्थान सरकार वित्त (जीएण्डटी) विभाग के परिपत्र कमांक प 6 (5)वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 09.07.2020 के अनुसार होगी।

(ड) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपकमों को बिड सिक्युरिटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

26. **बेली प्रतिभूति (Bid Security) का समपहरणः**–बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा:–

(1) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद, किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(2) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ठ समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो निष्पादित नहीं करता है।

(3) जब बोलीदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(4) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

27. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेपः–

(i) सफल निविदादाता को आदेश प्राप्त होने 15 दिन की अवधि के भीतर संलग्न प्ररूप में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानो (स्टोर्स) के लिए निविदाऐं स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर परफोर्मेन्स प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी। एम.एस.एम.ई. के तौर पर पंजीकृत फर्मों को आदेशित मात्रा के परिगणित मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करानी होगी।

(ii) बोली के समय जमा करायी गयी बिड सिक्योरिटी को परफोर्मेन्स सिक्युरिटी की राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा। परफोर्मेन्स किसी भी दशा मे बिड सिक्योरिटी से कम की नहीं होगी।

(iii) परफोर्मेन्स सिक्योरिटी पर विभाग/कार्यालय द्वारा कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा।

(iv) कार्य संपादन प्रतिभूति राशि (**Performance Security**) निम्न प्रकार देय होगीः–

(क) बैंक ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चैक/चालान ।

(ख) बैंक गारंटी।

(घ) राष्ट्रीय बतच प्रमाण–पत्र डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण–पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

(v) एक बार की खरीद/कार्य के मामले मे क्रय आदेश/कार्यादेश के अनुसार मदों के अन्तिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जानो के बाद या गारन्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि संवेदक के विरूद्ध कोई देय बकाया नहीं है। प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जागा।

(2) कार्य संपादन प्रतिभूति राशि (Performance Security) निक्षेप का समपहरण :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहत किया जा सकेगा:–

(क) जब संविदा के किन्हीं निबंधनो और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब संवेदक सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल हो रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान संवेदक द्वारा किया जाएगा तथा विभाग/कार्यालय को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडल निःशुल्क दी जाएगी।

28. भुगतान करने पर किए गए प्रेषण प्रभार संवेदक द्वारा वहन किये जाएगें।

29. (i) क्रयादेश/आपूर्ति आदेश में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii) परिनिर्धारित नुकसानी:–परिनिर्धारित नुकसानी के साथ सुपर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामलों में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन सामानों के मूल्य के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है:–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए 5 प्रतिशत।

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत।

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत।

30. वसूलियॉ:–परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

31. उपापन संस्था किसी भी बोली प्रस्ताव को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा। किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज. जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

32. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लघंन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारो द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल ऑबिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप–अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप–अधिकारी इस संविदा से संबंधित नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

33. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या संवेदक) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालय में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

34. बोली के क्रम में प्रथम अपील अधिकारी एवं द्वितीय अपील अधिकारी वित्त (जीएसटी) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–1 (8) वित्त/सा.वि.ले.नि./2011 दिनांक 04.02.2013 के अनुसार होगें।

35. **Price fall clause:-** दर अनुबंध में दरे कीमतें गिरने के खण्ड के अध्यधीन होगी। यदि दर अनुबन्ध धारक दर अनुबंध चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर अनुबन्ध कीमत से कम कीमत पर सामान माल, सकर्मों या सेवाये देने पर उसकी कीमत कोट कम करता है तो उस दर अनुबन्ध के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिये दर अनुबंध कीमत, कीमत कम करने/कोट करने की

दिनांक से स्वतः कम हो जावेगी और दरें/अनुबंध तद्नुसार संशोधित की जावेगी। समानान्तर दर अनबुन्ध धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर दिया जावेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर अनुबंध धारक फर्म दर अनुबध के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की हुई कीमत अन्य समानान्तर दर अनुबंध धारक फर्मों एवं मूल अनुबंध धारक फर्म को अपनी कीमत तत्समान करने के लिये संसूचित की जावेगी। यदि कोई दर अनुबंध फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है, तो उसके साथ आगे कोई संव्यवहार नहीं किया जावेगा।

36. निविदादाता को अपनी वित्तीय क्षमता का प्रमाण लगाना होगा जिसमें उसका गत तीन वित्तीय वर्षों 2021–22, 2022–23 तथा 2023–24 का न्यूनतम औसत टर्न ऑवर 10 लाख होने के संबंध में सी.ए. से जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। प्रमाणन में सनदी लेखाकार के UDIN नम्बर एवं मुहर लगी हो।

37. विभागीय कय समिति द्वारा राज्य हित में सर्वाधिक लाभप्रद बोली को स्वीकृत किया जायेगा एवं समिति न्यूनतम दर वाली संविदा को स्वीकार किए जाने हेतु बाध्य नही है। अत्यन्त अव्यावहारिक दरें प्राप्त होने पर समिति द्वारा इसे अस्वीकार किया जा सकता है। अथवा समिति द्वारा बोलीदाता की सक्षमता से संतुष्ट नहीं होने पर न्यूनतम बोलीदाता से इत्तर बोलीदाता से भी अनुबंध किया जा सकता है। किसी बिड को या उसके किसी भी भाग को बिना कारण बताये रद्द किये जाने का अधिकार विभाग के पास सुरिक्षित है।

38. वित्त (जीएण्डटी) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.10.2021 के अनुसार राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75ए के अनुसार असंतुलित बिड की स्थिति में सफल बोलीदाता फर्म से अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति ली जावेगी। अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि असंतुलित बोली राशि के 50 प्रतिशत के बराबर होगी। सफल बोलीदाता फर्म द्वारा करार निष्पादन से पूर्व अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति हेतु लम्प सम राशि जमा कराई जावेगी। असंतुलित बोली राशि से तात्पर्य अनुमानित बोली मूल्य का 85 प्रतिशत में से बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली मूल्य (Quoted) को घटाने पर प्राप्त राशि होगी। अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति ई–ग्रास, डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, सरकारी प्रतिभूति और बैंक गारण्टी के माध्यम से जमा कराई जा सकेगी। संतोषजनक कार्य पूर्ण होने पर संवेदक को अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी। संवेदक द्वारा निर्धारित प्रदाय अवधि के भीतर कार्य पूर्ण नहीं किये जाने पर उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (फोरफिचर) कर लिया जावेगा।

39. वित्त (जीएण्डटी) विभाग द्वारा भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के बोली दाताओं के अनिवार्य पूर्ण पंजीकरण के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 01.01.2022 एवं आदेश दिनांक 15.01.2021 एवं 30.03.2021 इस निविदा पर लागू होंगे।

41. विभाग सफल बोलीदाता को किसी भी अनुमोदित आईटम/आईटमों की संविदा की अवधि में किसी भी समय, स्थान पर आपूर्ति करने हेतु कार्यादेश दिये जाने हेतु स्वतंत्र होगा। दर संविदा की अवधि एवं अतिरिक्त मात्रा उपापन संस्था द्वारा आर.टी.पी.पी. नियमों के अनुसार बढाई जा सकती है, जिसके द्वारा संवेदक बाध्य रहेगा।

41. भुगतानः– भुगतान हेतु अनुमोदित फर्म द्वारा तीन प्रतियों में बिल प्रस्तुत किया जायेगा। बिल के साथ कार्यादेश की प्रति संलग्न की जायेंगी।

42. बोलीदाता फर्म के पास निविदा में वर्णित कार्यो के निष्पादन हेतु Annexure B के अनुसार पर्याप्त तकनीकी, वित्तीय, व्यावसायिक, प्रबंधकीय मानव संसाधन होने आवश्यक है जिनकी पुष्टि/जाँच कार्यालय द्वारा की जा सकती है।

43. निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक मांग प्राप्त होने पर संवेदक द्वारा निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज. जयपुर को लिखित में सूचित किया जावेगा एवं निर्धारित वित्तीय सीमा में अभिवृद्धि के उपरांत ही आगे कार्य किया जवेगा। संवेदक द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमा में लिखित अभिवृद्धि प्राप्त नहीं किये जाने पर किये गए कार्य के बिलों के भुगतान नहीं होने/विलम्ब से होने पर संवेदक स्वंय जिम्मेदार होगा।

44. फर्म को कार्यालय के द्वारा 15 दिवस का नोटिस देकर दर संविदा/अनुबंध को समाप्त किया जा सकेगा। इसके लिए फर्म को कोई भी हर्जाना/क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

45. भुगतानः– भुगतान हेतु फर्म द्वारा तीन प्रतियों में बिल प्रस्तुत किया जावेगा। बिल के साथ कार्यादेश की प्रति संलग्न की जायेगी।

46 आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 व आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के समस्त प्रावधान इस निविदा पर लागू होगें।

47. दर संविदा की अवधि एवं अतिरिक्त मात्रा उपापन संस्था द्वारा आर.टी.पी.पी. नियमों के अनूसार बढ़ाई जा सकती है जिसके लिए संवेदक बाध्य होगा।

48. निविदा में आमत्रित दरे अनुमोदित किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी, आपसी सहमति से R.T.P.P 2013 के नियम 29 (2) के (झ) अनुसार विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत, निबन्धनों और शर्तों पर अधिकतम तीन माह अथवा नई निविदा अनुमोदित होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए बढाई जा सकेगी ।

बिड की विशिष्ट शर्तें

टिप्पणीः– खुली बोलीदाताओं को खुली बोली की सभी शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी खुली बोली भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. विनिर्देशः–

(i) प्रदाय की गयी सभी वस्तुए बोली में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहॉ पर वस्तुओं की आई.एस.आई विनिर्देश के अनुरूप अपेक्षा की गयी हो, वहॉ उपमदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए।

(ii) कार्यालय उपयोग में आने वाले जनरल आईटम्स की वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामले में, जहॉ कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने न हो, वहॉ अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। केता अधिकारी/केता समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप है, तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार है, किया गया निर्णय अन्तिम एवं बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

(iii) वारंटी/गारटीः–बोलीदाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/वस्तुए खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से 3 माह की अंवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस के बावजूद कि केता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं या उन्हें अनुमोदित कर दिया है यदि 3 माह की उक्त अवधि मं मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये हैं, तो केता उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने वाले माल/सामान/वस्तुऐं विक्रेता की जोखम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। बोलीदाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाए तो उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे केता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा बोलीदाता उस नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में केता अधिकारी के किसीं अन्य अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

2. नमूनेः– निविदा के साथ संलग्न नमूना लिस्ट एनेक्सर "एच" के अनुसार नमूने प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। नमूने तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक से एक दिन पूर्व प्रस्तुत करने होगें। नमूने प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में दरो पर विचार नहीं जायेगा तथा MSME Firm के तहत छूट लेने पर UEM/EM Part-II दस्तावेजों के साथ संलग्न करना आवश्यक है। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. प्रत्येक नमूने पर, या उन पर मजूबती से चिपकायी गयी किसी मजबूत कागज की पर्ची पर बोलीदाता का नाम, मद की कम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाएगे।

4. अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छः माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जायेगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें, प्रशिक्षण, जॉच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट–फूट हानी के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

5. निर्धारित अवधि की समाप्ति पर बोलीदाता द्वारा नमूनों को वापिस लिया जाएगा। विभाग किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगा। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किये जाते हैं तो उन्हें विभाग द्वारा समपहृत कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए, कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6. असफल बोलीदाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इकट्ठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है, उनमें परीक्षण, जॉच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान टूट–फूट या हानि के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नहीं लिए जायेंगे उन्हे समपहृत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7. प्रदाय जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किंया जाएगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जहॉ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहॉ परीक्षण सरकारी प्रयोगशाला, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहॉ पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

8. न्यूनतम दरदाता का निर्धारण आईटमवाईज न्यूनतम दर व नमूने की गुणवत्ता के आधार पर उपापन समिति द्वारा किया जायेगा। विभागीय कय समिति द्वारा राज्य हित में सर्वाधिक लाभप्रद बोली को स्वीकृत

किया जायेगा एवं समिति न्यूनतम दर वाली संविदा को स्वीकार किए जाने हेतु बाध्य नहीं है। अत्यन्त अव्यावहारिक दरें प्राप्त होने पर समिति द्वारा इसे अस्वीकार किया जा सकता हैं। अथवा समिति द्वारा बोलीदाता की सक्षमता से संतुष्ट नहीं होने पर न्यूनतम बोलीदाता से इतर बोलीदाता से भी अनुबंध किया जा सकता है। किसी बिड को या उसके किसी भी भाग को बिना कारण बताये रद्द किये जाने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।

9. अनुमोदित फर्म द्वारा कम्प्यूटर सामग्री निविदा प्रपत्र मे वर्णित सामग्री के कम्पनी मेंक व समकक्ष विवरण के अंकितानुसार ही सप्लाई करनी होगी। यदि वर्णितानुसार सामग्री सप्लाई किया जाना संभव न हो तो बोली प्रपत्र में अपनी दरें अंकित नहीं करें। भविष्य में तदनुसार सामग्री सप्लाई में भिन्नता पायी जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

कार्यालय उपयोग में आने वाले कम्प्यूटर आईटम्स/सामग्री की सूची

निविदाकार का नाम एवं पता...

तकनिकी बिड

क्रस.	नाम सामग्री/आईटम	अनुमानित मात्रा	कम्पनी/मेक का नाम
1	Printer Cartridge 12 A Or Compatible	15	
2	Printer Cartridge 88 A Or Compatible	15	
3	Printer Cartridge 36 A Or Compatible	15	
4	Printer Cartridge 80 A Or Compatible	15	
5	Printer Cartridge 78 A Or Compatible	15	
6	Printer Cartridge 326 Or Compatible	60	
7	Printer Cartridge 303 Or Compatible	10	
8	MFP Cartridge 337 Or Compatible	30	
9	Printer Cartridge TNP 28 S Or Compatible	10	
10	Printer Cartridge TN 2365 Or Compatible	10	
11	Printer Cartridge TN-B021 Or Compatible	20	
12	Printer (Drum Unit) IUP15 Or Compatible	10	
13	Printer (Drum Unit) DR 2365 Or Compatible	10	
14	Brother Printer (Drum Unit) TN B021 Or Compatible	20	
15	Printer/Computor USB Cabile	30	
16	Computor Display/VGA Cabile	30	
17	Printer Power Cabile	30	
18	Earthnet Len Cabile (5 Mit.)	30	

13	Drum Kit Change DR 2365	50		
14	Drum Kit Change TN B021	20		
15	Cartidge Drum Kit change (12A, 88A, 36A, 80A, 78 A, 326, 303, 337)	500		
16	Cartidge Blad change (12A, 88A, 36A, 80A, 78 A, 326, 303, 337)	300		
17	Cartidge PCR Rod change (12A, 88A, 36A, 80A, 78 A, 326, 303, 337)	300		
18	Magnet Rode Change (12A, 88A, 36A, 80A, 78 A, 326, 303, 337)	300		

Signature of Tenderer
With Rubber stemp

नोटः—

1. निविदा के साथ सभी आइटमों के सेम्पल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं क्रय गुणवत्ता पर आधारित होगी ।
2. वित्तीय निविदा में दरे अंकित करते समय यह ध्यान रखा जावे कि तकनीकी निविदा जो मेक/स्पेसिफिकेशन अंकित किया है, उसी वस्तु/सामग्री की दरे वित्तीय निविदा में अंकित की जावे।
3. ~~निविदादाता द्वारा नमूना प्रस्तुत किया है अथवा नहीं अंकित किया जावे ।~~
4. निविदादाता द्वारा दरें सभी करों (Including GST) को सम्मिलित करते हुए दी जानी है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

1. निविदादाता का नाम
2. डाक का पता
3. टेलीफोन नं. (दुकान) ....
   (मोबाईल) ....

जयपुर, दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील
स्टाम्प

Annexure – A :- COMPLIANCE WITH THE CODE OF INTEGRITY AND NO COMFLICT OF INTEREST:

Any person participating in a procurement process shall-

a) Not offer any bride, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process:
b) Not misrepresent or omit misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation:
c) Not indulge in any collusion. Bid rigging or any- competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process:
d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any part or to its property to influence the procurement process.
f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process:
g) Disclose conflict of interest, if any;and
h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest
A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities. Contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

I. A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in bidding process if. Including but not limited to.

a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. Have the same legal representative for purpose of the Bid; or
d. Have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring entity regarding the bidding process; or
e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process, Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as bidder , in more than one Bid; or
f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Services that are the subject or the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired by the procuring entity as engineer inchage/ consultant for the contract.

I/We hereby agree all above terms & Conditions & have signed on each page as a taken of acceptance.

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice inviting Bids No. .... Dated............... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we not insolvent, receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any off the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct of the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualification to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date: Signature of bidder

Place: Name:

Designation:

Address:

Annexure – C :- GRIVANCE REDRESSAL DURING PROCUREMENT PROCESS:

The Designation and address of the First Appellate Authority is Joint Secretary, Medical & Health (Gr-ii), Govt. of Rajasthan.

The Designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary, Medical Health & Family Welfare, Govt. of Rajasthan.

(1) **Filling an appeal**

If and Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision. Action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act of the Rules of the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision on action, omission as the case may be, clearly giving the specific ground or ground on which he feels aggrieved.

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial bids. An appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The Officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it or within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para(2) , or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the first appellate Authority , the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity , as the case may be , may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate Authority, as the case may be

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters namely:-

(a) Determination of need of procurement:
(b) Provision limiting participation of Bidders in the Bid process:
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) Cancellation of a procurement process:
(e) Applicability of the provisions of Confidentiality.

(5) **Form and procedure of filing an Appeal**

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to first Appellate Authority of Second Appellate Authority. as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) **Fee for Filling appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand. Which shall be non- refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Band in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filling of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents. If any , to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State Public procurement Portal.

FORM NO. 1 [See rule 83 of RTPP]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No .... of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official Address. If any:
   (iii) Residential Address
2. Name and address of the respondent (S)
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy) , or a statement of a decision , action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant propose to be represented by a representative, the name and postal address of the representative;
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal;
6. Ground of Appeal:
   ....
   ....
   ......
   ....
   ....
   ......
   ....(Supported by an affidavit)
7.

Prayer :

....
....

Place............................

Date..............................

Appellant's Signature

Annexure – D :- Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

i. if there is discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if the is an error in a total corresponding to the additional or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which cases the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject mater of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensating except otherwise provided the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and the vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid accepted and the second lowest Bidder equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

The Designation and address of the First Appellate Authority is Joint Secretary, Medical & Health (Group-ii) Department, Raj., Jaipur.

The Designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Health Secretary, Medical & Health Department, Rajasthan, Jaipur.

Signature of Tendrer

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/हमने जिन मालों/ स्टोर्स/ उपकरणें के लिए निविदा दी है, उनका/मैं/हम बोनाफाईड/थोक विक्रेता/सोल विवरक/ प्राधिकृत डीलर/ सोल सेलिंग/ विपणन एजेण्ट है ।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/ हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील
निविदादाता का नाम
पूर्ण पता
टेलीफोन न0 (निवास)
(कार्यालय)

राजस्थान सरकार
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

कमांकः प. 6 (5) वित्त/साविलेनि/2018 जयपुर, दिनांक : 9.7.2020

परिपत्र

विषयः– ई ग्रास पर एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं आरआईएसएल फीस जमा करवाये जाने की प्रक्रिया के चरण ।

वित्त विभाग के परिपत्र कमांकः प. 6(5)वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.04.2020 द्वारा राज्य सरकार के सिविल विभागों, निर्माण विभागों तथा वन विभाग में लोक उपापन प्रक्रिया में ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर ई–निविदाओं के लिए एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं आरआईएसएल फीस को ऑनलाईन ई–ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा कराने के प्रावधान किये गये है। ई–ग्रास पोर्टल पर ऑनलाईन चालान से बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं आरआईएसएल फीस जमा करवाये जाने के संबंधित चरण निम्नानुसार हैः–

1. बिडर का ई–ग्रास पर लॉगिन पहले से नहीं बना हो तो सर्वप्रथम बिडर को ई–ग्रास पोर्टल पर New User sign Up से लॉगिन फार्म भरना है।
2. Login ID Password प्राप्त करने के पश्चात ई–ग्रास पोर्टल पर sign in करें।
3. चालान जमा करवाने हेतु Service Challan का ऑप्शन चयन करे।
4. Department का चयन करे। उसके पश्चात services के ऑप्शन में e-proc या Non-eproc ऑप्शन का चयन करे।
   उल्लेखनीय हैं e-proc के प्रकरण में केवल ऑनलाइन भुगतान ही स्वीकार किया जायेगा। Non -e-proc में दोनों विकल्प Manual (Offline) एवं e-mode (Online) मौजूद हैं।
5. चालान फॉमं में period के option में one time के ऑप्शन का चयन करे।
6. Payment mode में online और offline दोनो ऑप्शन उपलब्ध है। ऑनलाइन मोड चयन करने पर संबंधित बैंक की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जायेगा।
   ऑफलाइन भुगतान करने की स्थिति में जिस बैंक का विकल्प चुना है उसकी संबंधित बैंक में चालान जमा कराना होगा। Manual (Offline) में केश/ चेक/डी.डी. द्वारा भुगतान का ऑप्शन उपलब्ध है।

विस्तृत प्रक्रिया ई ग्रास पोर्टल (https://egras.raj.nic.in/) पर User Manual में उपलब्ध है। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए ई ग्रास हेल्प डेस्क नंबर 0141–5111007, 5111010 पर संपर्क किया जा सकता है।

(टी. रविकान्त)
शासन सचिव,
वित्त (बजट) विभाग

Annexure-G

Land Bord Country Registration Requirement

Name Of Bidder.. NIB Number...................................

I/we have read the Rule 13 of RTPP Rules and Government of Rajasthan Notification No. f. 2(1)FD/G&T-Spfc/2017 dated 01.01.2021, 15.01.2021 and 30.03.2021 regarding Provisions for Procurement from a Bidder which shares a land border with Inida, I/We certify that, bidder M/s...(Name of Bidder) is

(i) Not form such a country

Or

(ii) If from such a country has been registered with the Competent Authority i.e. as specfifed in Rule 13 of RTPP Rules and Government of Rajasthan Notification No. F.2(1)FD/G&TSPFC/2017 dated 01.01.2021, 15.01.2021 and 30.03.2021 (Evidence of Valid registration by the Competent Authority Shall be attached)

Name: [insert complete name of person signing the bid]
In the capacity of [insert legal capacity of person signing the bid]
Signed: [insert signature of person whose name and capacity are shown above]
Duly authorized to sign the Bid for and on behalf of [insert complete name of the bidder]
Date: [insert date of signing]

एनेक्सर–"एच"

Office of the District Industries Centre.................................

CERTIFICATE
(See clause 10)

File No..
Date ....

It is certified that M/s...was inspected by ....on dated...........................and the facts mentioned by the enterprise are correct as per the record shown by the applicant. The enterprise is eligible for Price Preference or Purchase Preference or both under this notification. The certificate is valid for one year from the date of its issue.

Office Seal

Signature
(Full Name of the Officer)
General Manager
District Industries Centre
Rubber Seal/Stamp

Enclosure- (1) Application
(2)
(3)

Form of Bid – Securing Declaration

Date:
Bid No:
Alternative No:
To:
....
....
....

We, the undersigned, declare that:
We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration. We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases namely:-

(a) When we withdraw or modify our bid after opening of bids;
(b) When we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
(c) When we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
(d) When we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
(e) If we breach any provision of code of Integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Deliration shall expire if:-

(i) We are not the successful Bidder;
(ii) The execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) Thirty days after the expiration of our Bid
(iv) The cancellation of the procurement process; or
(v) The withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :..
Name : ....
In the capacity of ....
Duly authorizes to sign the bid for and on behalf of :
Dated on day of
Corporate Seal..

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

शपथ/घोषणा पत्र

मै/हम .... पुत्र श्री .... निवासी .... जो, कि मैसर्स .... फर्म का पता .... की ओर से शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ/करते हैं कि

1. यह कि उक्त फर्म/कम्पनी जिसका **PAN No.......................... GST No..**
2. यह कि मैं इस फर्म /कम्पनी का मालिक/स्वामी/साझेदार/पद .... पर यह शपथ प्रस्तुत करने की अधिकृत व्यक्ति हूँ।
3. यह कि मैं/ हम घोषणा करता हूँ/ करते है, हमने जहां कही भी सामग्री की आपूर्ति की है उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में संतोषप्रद कार्य नहीं होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वार ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।
4. यह कि मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि हमारा किसी भी न्यायालय में सामग्री प्रदाता के रूप में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं कियाग या है।
5. यह है कि हमारा कोई भी परिजन इस निविदा के निर्णय से संबंधित किसी भी पद अधिकारी/कार्मिक के रूप में कार्यरत नहीं है तथा कयादेश देने वाले अधिकारी/कार्मिक लोकसेवक पद पर कार्यरत नहीं हैं।
6. यह है कि उक्त तथ्यों कि सत्यता के लिये यह शपथपत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षरार्थ शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूँ/ करते है कि उक्त अनुच्छेद सं. 1 से 6 तक में की गयी घोषणा मेरी/हमारी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर सही है तथा इसमें कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है। ईश्वर मेरी/हमारी मदद करे।

हस्ताक्षरार्थ शपथग्रहिता

एनेक्सर के

शपथ/घोषणा पत्र

मै/हम .... पुत्र श्री .... निवासी .... जो, कि मैसर्स .... फर्म का पता .... की ओर से शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ/करते हैं कि

1. यह कि उक्त फर्म/कम्पनी जिसका PAN No........................... GST No......................................
2. यह कि मैं इस फर्म /कम्पनी का मालिक/स्वामी/साझेदार/पद .... पर यह शपथ प्रस्तुत करने की अधिकृत व्यक्ति हूँ।
3. यह कि मैं/ हम घोषणा करता हूँ/करते है, हमने जहां कही भी निर्माण सामग्री की आपूर्ति की है उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षो में संतोषप्रद कार्य नहीं होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपकम/कम्पनी द्वार ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।
4. यह कि मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि हमारा किसी भी न्यायालय में सामग्री प्रदाता के रूप में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं कियाग या है।
5. यह है कि हमारा कोई भी परिजन इस निविदा के निर्णय से संबंधित किसी भी पद अधिकारी/कार्मिक के रूप में कार्यरत नहीं है तथा कयादेश देने वाले अधिकारी/कार्मिक लोकसेवक पद पर कार्यरत नहीं हैं।
6. यह है कि उक्त तथ्यों कि सत्यता के लिये यह शपथपत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं।

स्थानः

दिनांकः

हस्ताक्षरार्थ शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूँ/ करते है कि उक्त अनुच्छेद सं. 1 से 6 तक में की गयी घोषणा मेरी/हमारी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर सही है तथा इसमें कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है। ईश्वर मेरी/हमारी मदद करे।

हस्ताक्षरार्थ शपथग्रहिता